निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

वादसं0 82/2017/प्रा.पत्र/

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

अनवान

1. श्री भेरा पिता मेघा सुथार निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
2. श्री वरदा पिता मेघा सुथार निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
3. श्री लक्ष्मण पिता मेघा सुथार निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
4. श्री संतोष पिता मेघा सुथार निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
5. श्रीमती तुलसी बेवा मेघा सुथार निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़

———वादीगण

बनाम

1. श्री सवाईवन पिता अणदावन जोगी निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
2. श्री अणदावन पिता गोपावन जोगी निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
3. श्री अमरावन पिता गोपावन जोगी निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़
4. श्री देवावन पिता गोपावन जोगी निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़

———प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

उपस्थित :– 01. श्री लूम्बसिंह वकीलवादी
02. श्री राजूसिंह वकील प्रतिवादी
03. बलवीरसिंह वकील प्रतिवादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम कवासकागुड़ा पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ में वादी की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि स्थित है जिसका खा.नं. 75 आ.नं. 175 रकबा 1.10 बिस्वा, आ.नं. 176 रकबा 0.11 बिस्वा एंव आ.नं. 177 रकबा 0.17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1.38 बीघा है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज है वादी ही इस भूमि का लगान जमा कराता है। इस भूमि की वादी ने दिनांक 07.06.2017 को भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करवाई तब भी विपक्षीगण ने कहा कि हम अपना कब्जा हटा देंगे लेकिन उन्होने कब्जा नही हटाया व अंब स्पष्ट रूप से कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा कहा पर वादी को वादग्रस्त आराजी में से 0.03 बीघा भूमि से बेदखल कर जबरन अधिकार कर अवैध रूप लेट्रिन व मकान बना कर कब्जा कर लिया है। वादीगण सीधे–सीधे व्यक्ति है, प्रतिवादीगण काफी पंहुच वाले बाहुबली व्यक्ति है जो अपने प्रभाव व ताकत से जबरन वादी उक्त भूमि में से 0.03 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादीगण ने कई बार मौखिक रूप से प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने तथा भूमि का कब्जा वापस वादीगण को सुपुर्द करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वापस सोपने से मना कर दिया जिसमें यह वादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलेक्टर

वादीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार कास्तकार है तथा प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजियात की 0.03 बिस्वा भूमि पर बिना अधिकार के गैर कानूनी रूप से जबरन कब्जा कर लिया है जिस बेदखल कर भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त 0.03 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर पुनः कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने के आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में 1, 3, 4 ने कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील श्री बलवीर सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया गया लेकिन जवाब पेश नही किया जिस पर प्रतिवादी वकील का जवाब बंद किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम कवासकागुड़ा में वादीगण की खातेदारी ाूमि स्थित है जिसके खा.नं. 75 आ.नं. 175, 176, 177 रकबा 1.18 बीघा है। इस भूमि की वादीगण ने भू.अ. निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से पत्थरगढ़ी भी करवाई है। उक्त भूमि के 0.03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण ने बजरन कब्जा कर दिया है तथा वादीगण के मौखिक रूप से बार–बार हकने पर भी कब्जा नही हटा रहें है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात के 0.03 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वादीगण के वादपत्र, नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकीलवादी की बहस के तर्कों पर मनन किया। ग्राम कवास का गुड़ा पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ की जमाबंदी संख्या 2069 से 2072 में वादीगण उक्त भूमि के खातेदार है। प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी के रकबा 0.03 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है जो अवैध है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कवासकागुड़ा पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ में वादीगण की स्थित भूमि आ.नं. 175, 176, 177 कुल किता 3 रकबा 1.18 में से 0.03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये जबरन कब्जे को हटाने तथा भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द